# न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **श्री सुनील कुमार पंचोली, आर.जे.एस.**
**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 103/2026 (CIS N. 103/2026)

CNR N. : RJDG010002052026

**श्रीमती अनिता उर्फ इन्दु पत्नी रोशन** उम्र 28 वर्ष निवासी गड़ावाटेश्वर पुलिस थाना धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.)। **––प्रार्थीया/अभियुक्ता––**

**बनाम**

राजस्थान राज्य। **––अप्रार्थी/अभियोजन––**

**जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।**

सेशन प्रकरण संख्या–123/2025, सरकार/जितु उर्फ जितेन्द्र व अन्य, (F.I.R. N.–52/2025) पुलिस थाना धम्बोला, अपराध अन्तर्गत धारा **126(2), 115(2), 333, 74, 76, 3(5)** भारतीय न्याय संहिता।

**उपस्थित :–**

1. श्री शिवशंकर कटारा, अधिवक्ता, प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से।
2. श्री पुष्कर चौबीसा, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

**:: आदेश ::** **दिनांक : 11.03.2026**

**1.** जमानत का यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/अभियुक्ता श्रीमती अनिता उर्फ इन्दु की ओर से सेशन प्रकरण संख्या–123/2025, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 333, 74, 76, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत पेश हुआ। नकल लोक अभियोजक को दिलायी गयी। पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी।

**2.** प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध सेशन प्रकरण संख्या–123/2025, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 333, 74, 76, 3(5) भारतीय न्याय संहिता लंबित है, जिसमें प्रार्थीया/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 14.03.2025 को समय करीब 3:30–4:00 बजे मौजा गड़ावाटेश्वर में अन्य सहअभियुक्तगण जितु उर्फ जितेन्द्र व कल्पेश के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया श्रीमती आशा का सदोष अवरोध कर उसके साथ कुन्द साधन से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण प्रकृति की उपहति कारित की ।

**3.** दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता का तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा में उक्त प्रकरण की चार्जशीट पेश होने पर माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की पत्रावली कमिट की गयी जिसकी जानकारी उसके अधिवक्ता द्वारा नही दी गयी जिस कारण वह माननीय न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित नही होने की वजह से माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किया गया जिसका ज्ञान उसको होने पर वह माननीय न्यायालय में सरेण्डर हुई है और पूर्व में माननीय न्यायालय में बराबर हाजीर होती रही है तथा जानबूझकर गैर हाजीर नही रही है। वह ही अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाली है उसे जमानत पर रिहा नही किया गया तो उसके परिवार के सदस्य भूखे मर जायेंगे तथा परिवार में भारी संकट पैदा हो जायेगा। उसके कही भागने या फरार होने का अंदेशा नही है। वह माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सशर्त जमानत मुचलके पेश करने हेतु तत्पर है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अत: प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जावे।

Authenticated Document

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और तर्क दिया कि प्रार्थीया/अभियुक्ता प्रकरण में लम्बे समय से अनुपस्थित रही है। अत: प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

5. मैंने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता दिनांक 19.02.2026 की नियत पेशी तारीख पर उपस्थित नही हुयी। फलस्वरूप उसके जमानत मुचलके जब्त किये जाकर उसे जरिये गिरफ्तारी वारण्ट तलब किया गया। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा उक्त नियत पेशी तारीख पर अनुपस्थित रहने का कारण विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को कमीट किये जाने की जानकारी न होना तथा गिरफ्तारी वारण्ट जारी होने पर उसे इस संबंध में जानकारी होना बताया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा अनुपस्थिति का बताया गया कारण समुचित होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि **"वह आयन्दा नियमित रूप से न्यायालय हाजा में उपस्थित होती रहेगी तथा भविष्य में अनुपस्थित रहकर प्रकरण की प्रगति को बाधित नहीं करेंगी।**

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर **प्रार्थीया/अभियुक्ता श्रीमती अनिता उर्फ इन्दु पत्नी रोशन** उम्र 28 वर्ष निवासी गड़ावाटेश्वर पुलिस थाना धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से पच्चीस हज़ार रुपये की राशी की जमानत एवं इतनी राशी का स्वयं का मुचलका इस आशय का प्रस्तुत कर प्रमाणित करा लिया जावे कि वह आयन्दा न्यायालय हाजा में नियमित रूप से उपस्थित होती रहेगी, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। ––sd––

**(सुनील कुमार पंचोली)**
**सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)**

आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। ––sd––

**(सुनील कुमार पंचोली)**
**सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)**

OM PRAKASH FALEJA

P.A. CUM E.A. "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.03.11 13:23:53 +0530